मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

संख्या–डीजी–1– पीएआर–6–93/2016 दिनांक:जनवरी 02 ,2019

सेवा में,

1–समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2–समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3–समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/ सेनानायक, पी0ए0सी0
5–समस्त सहायक पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

विषय:– आई0पी0एस0 अधिकारियों द्वारा वर्ष 2018 का वार्षिक सम्पत्ति विवरण भरे जाने व वर्ष 2018–19 की पी0ए0आर0 (कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।

कृपया शासन के पत्र संख्या–जीआई–41/छ:पु0से0–2–17–522(13)/2016 दिनांक 3.2.2017 पर इस मुख्यालय के समसंख्यक पृष्ठांकन पत्र दिनांक 8.2.2017 द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र संख्या–17048/01/2017–आईपीएस–एसीआर सेल, दिनांक 10.1.2017 संलग्न कर भारतीय पुलिस सेवा के समस्त अधिकारियों को प्रेषित किया गया था।

2– वर्ष 2018 का वार्षिक सम्पत्ति विवरण दिनांक 1.1.2019 से 31.1.2019 के मध्य SPARROW system में सभी आईपीएस अधिकारियों को अनिवार्य रूप से आन लाईन भरना है, जिसके सम्बन्ध में इस मुख्यालय के पत्र सं0–डीजी–1–64/2019 दि0 4.12.2018 द्वारा अवगत कराया जा चुका है।

3– गृह मंत्रालय, भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र द्वारा पुलिस महानिरीक्षक स्तर तक के अधिकारियों की प्रतिवेदक, समीक्षक, स्वीकर्ता स्तर पर प्रविष्टियाँ पूर्ण किये जाने की समय सीमा निम्नवत निर्धारित है:–

	Cut-off dates	
	Below Super Time Scale	Super Time Scale
Self appraisal for the current year	30 April	31 May
Appraisal by reporting authority	31 May	30 June
Appraisal by reviewing authority	30 June	31 July
Appraisal by accepting authority	31 July	31 August
Disclosure to the Officer reported Upon	15 August	15 September
Comments of the Officer reported upon, if any	31 August	30 September
Forwarding of comments of the officer reported upon to the reviewing and the reporting authority by the accepting authority, in case the officer reported upon makes comments	15 September	31 October
Comments of reporting authority	30 September	31 October
Comments of reviewing authority	15 October	15 November
Comments of accepting authority/PAR to be finalized and disclosed to the officer reported upon	31 October	30 November
Representation to the Referral Board by the officer reported upon	30 November	31 December
Forwarding of representation to the Referral Board along with the comments of reporting authority/reviewing authority and accepting authority	15 December	15 January
Finalization by Referral Board if the officer reported upon represents against the decision of the Accepting Authority.	15 January	15 February
Disclosure to the officer reported upon	31 January	28 February
End of entire PAR Process	31 March	31 March

इसी प्रकार अपर महानिदेशक एवं महानिदेशक स्तर के अधिकारियों की प्रविष्टियाँ पूर्ण कराने की समय सीमा निम्नवत निर्धारित है:–

Filling in Section II by the officer reported upon	15 June
Appraisal by reporting authority	15 July
Appraisal by reviewing authority	15 August
Appraisal by accepting authority	15 September
Disclosure to the Officer reported Upon	30 September
Comments of the Officer reported upon, if any	15 October

Forwarding of comments of the officer reported upon to the reviewing and the reporting authority by the accepting authority, in case the officer reported upon makes comments	31 October
Comments of reporting authority	15 November
Comments of reviewing authority	30 November
Comments of accepting authority/PAR to be finalized and disclosed to the officer reported upon	15 December
Representation to the Referral Board by the officer reported upon	31 December
Forwarding of representation to the Referral Board along with the comments of reporting authority/reviewing authority and accepting authority	31 January
Finalization by Referral Board if the officer reported upon represents against the decision of the Accepting Authority.	28 February
Disclosure to the officer reported upon	15 March
End of entire PAR Process	31 March

4— गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अन्य संवर्गो की भाँति उत्तर प्रदेश हेतु वर्ष 2018—19 की प्रविष्टियों को उपरोक्त समय सीमा के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने की व्यवस्था लागू किये जाने की सम्भावना है। निर्धारित समय में यदि स्वमूल्यांकन नही भरी गयी तो स्वतः ही प्रतिवेदक स्तर पर पीएआर अग्रेसित हो जाएगी। इसी प्रकार प्रतिवेदक स्तर पर निर्धारित समय में प्रविष्टि अंकित न होने पर स्वतः ही समीक्षक स्तर पर पीएआर अग्रेसित हो जाएगी।

5— दिनांक 1.4.2018 से अब तक जिन अधिकारियों के अन्यत्र स्थानान्तरण हो चुके हैं अथवा उनके प्रतिवेदक अधिकारी स्थानान्तरित हो चुके हैं, उन अधिकारियों द्वारा तत्काल अपनी स्वमूल्यांकन Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window (SPARROW) system में अग्रेसित की जानी अपेक्षित है। अतः अपनी मेडिकल कराने की तिथि, वार्षिक सम्पत्ति विवरण भरने की तिथि व प्रशंसा पत्रों तथा अन्य सभी सूचनाओं को भरकर पी0ए0आर0 का सेक्शन—1 तत्काल ई—मेल आईडी igkarmik-up@nic.in पर पी0ए0आर0 जनरेट करने हेतु दि0 15.1.2019 तक प्रेषित करते हुए **उसकी प्रति अपने प्रतिवेदक अधिकारी को पृष्ठांकित कर उनके स्तर पर परीक्षण हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि सही पीएआर जनरेट करायी जा सके। इस व्यवस्था से सही पीएआर जनरेट करने व प्रतिवेदक अधिकारियों के चयन में सुगमता रहेगी।**

7— **उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017—18 की बड़ी संख्या में आईपीएस अधिकारियों की पीएआर दिसम्बर 2018 के अन्तिम सप्ताह में पूर्ण होकर विलम्ब से डिस्क्लोज होने के कारण पी0ए0आर0 की आगे की प्रकिया पूर्ण नही हो सकी है। इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है कि यदि प्रविष्टि से कोई अधिकारी असन्तुष्ट हैं तथा Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window (SPARROW) system में Accept नही किया है, अर्थात् पी0ए0आर0 को स्वीकार नही किया गया है तो हार्डकापी में अपना प्रत्यावेदन रेफरल बोर्ड के समक्ष विचार हेतु प्रेषित कर सकते हैं।**

8— AIS (PAR) Rules-2007 के प्रस्तर—9(a) में रेफरल बोर्ड के गठन की व्यवस्था है।इस नियमावली के अन्तगत रेफरल बोर्ड में मुख्य सचिव,उ0प्र0 शासन अध्यक्ष व प्रमुख सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 सदस्य हैं। उपरोक्त निर्धारित समय सीमा में रेफरल बोर्ड को पीएआर सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को निर्णीत करने के अधिकार की समय सीमा में अभी समय शेष है। **रेफरल बोर्ड का निर्णय यदि 31 मार्च के पूर्व गृह मंत्रालय, भारत सरकार को प्राप्त हो जाएगा तो गृह मंत्रालय द्वारा पी0ए0आर0 के साथ उसे अपलोड कर दिया जाएगा।**

9— अनुरोध है, कृपया उपरोक्त समयसीमा के अन्तर्गत वर्ष 2017—18 व 2018—19 की प्रविष्टियॉ पूर्ण कराने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(रेणुका मिश्र) 21/1/19
अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपिः प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।
प्रतिलिपि समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को सूचनार्थ ।